पावरग्रिड
POWERGRID

**अपील प्राधिकारी-सूचना का अधिकार अधिनियम 2005-के अंतर्गत**
**पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड**
**एस.सी.ओ. 5-10, सेक्टर -16ए फरीदाबाद, पिन:121002**

**ऑनलाइन अपील पत्र पंजीकरण संख्या:PGCIL/A/E/23/00020**
**दिनांक:04.04.2023**

**संदर्भ सं0:** ई.डी./सचिवालय/आर. टी. आई./2210/18 **दिनांक: 19**.04.2023

**लोक प्राधिकारी का नाम** **: पावरग्रिड उ. क्षे-1 मुख्यालय फरीदाबाद -121002**

## आदेश

ऑनलाइन आर. टी. आई प्रार्थना पत्र **पंजीकरण संख्या:PGCIL/R/E/23/00087** दिनांक 06.03.2023 **श्री राजेश कुमार जाट, निवासी ग्राम मुंडावारा, तहसील नरायणपुर, जिला अलवर, राजस्थान, पिन 301024 से आर. टी. आई एम.आई एस पोर्टल के** द्वारा सी.पी.आई.ओ, उ. क्षे.1 के कार्यालय में दिनांक 09.03.2023 को प्राप्त हुआ। इसके उप्रांत **आर. टी. आई एम.आई एस पोर्टल के** द्वारा सी.पी.आई.ओ, उ. क्षे.1 ने दिनांक 03.04.2023 को बिंदुवार जानकारी आर. टी. आई अधिनियम के नियमों के अनुसार प्रदान की।

अब, **श्री राजेश कुमार जाट ने** सी. पी. आई. ओ., उ. क्षे.1 द्वारा बिंदु न. 2 एवं 3 पर प्रदान की गई जानकारी से असंतुष्ट होने पर ऑनलाई अपील पत्र **पंजीकरण संख्या:PGCIL/A/E/23/00020 दिनांक:04.04.2023** पंजीकृत किया है । अपील पत्र के माध्यम से अपीलकर्ता ने बताया है कि बिंदु न. 2 के अनुसार सभी वाहनों से सम्बंधित एल. ओ. ए. की कॉपी अनुलग्न सहित उप्लब्ध कराई जाए एवं बिंदु न.3 मई 2022 से 2023 तक प्रत्येक दिन वाइन के अनुसार मुख्य द्वार से अंदर आने और बाहर जाने का समय तथा उप्रोक्त अवधि की वाहन किलोमीटर रिडिंग उपलब्ध कराए। जबकि सी.पी.आई.ओ. के द्वारा मुख्य द्वार पर की जाने वाली रिडिंग देने के बजाय, पूर्व सूचना देकर कार्यालय में आकर लॉग बूक देख सकते है।

अपीलकर्ता से प्राप्त अपील पत्र को अधोहताक्षरी के दिशानिर्देशानुसार पुन: सी. पी. आई. ओ., उ.क्षे. प्रथम ने पुनर्विचार के लिये सम्बंधित पावरग्रिड कार्यालय को भेजा। इस अनुसार सम्बंधित पावरग्रिड कार्यालय ने बिंदु न.2 के अनुसार मांगी गई एल.ओ.ए की प्रति प्रदान किया है और बिंदु न. 3 के अनुसार पुन: बताया है कि नीमराना में अनुबंध पर लगे तीन वाहनो (वाहन न.RJ32-TA2053, RJ02-TA3516 and RJ32-TA2050) से सम्बंधित विभागीय दस्तावेज का प्रारुप लॉगबुक है जिसमे जो भी जानकारी निहित होनी चाहिए वह उपलब्ध है। जहां तक कि बिंदु न. 3 के अनुसार जानकारी प्रदान करने के बारे आपको पहले ही जानकारी दे चुके है कि दस्तावेज का रुप विस्तृत है कार्यालय में उप्लब्ध है पूर्व में सूचना देकर देख सकते है। अब पुन: आपको बताना है कि आर. टी. अधिनियमानुसार नियम 2(j) (i) के अनुसार दस्तावेज देख सकते है। निरिक्षण के दौरान अगर आपको किसी दस्तावेज की प्रति चाहिए तो आर. टी. आई. के नियमानुसार प्रतिलिपि शुल्क देकर प्राप्त कर सकते है। अत: आपका उप्रोक्त अपील पत्र बंद (dispose) किया जाता है।

**[ए. के. मिश्रा ]**
**कार्यपालक निदेशक, उ.क्षे .I एवं प्रथम अपीलीय प्राधिकारी**
इ-मेल:akmishra2@powergrid.in, फोन न. 0129-2666301

प्रतिलिपि :

1. **श्री राजेश कुमार जाट, निवासी ग्राम मुंडावारा, तहसील नरायणपुर, जिला अलवर, राजस्थान, पिन 301024** :आपके ऑनलाइन अपील पत्र पंजीकरण संख्या:PGCIL/A/E/23/00020 दिनांक 04.04.2023 के सन्दर्भ मे।
2. **श्री राजेश वी., मुख्य महाप्रबंधक (परियोजना) एवं अधिकृत सी पी आई ओ, उ.क्षे.I:** सूचना एवं रिकार्ड हेतु।